न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

नः— अजीत सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह

ः— आवेदन अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट1955(टी.आई.) मु.नं — 109 वर्ष 2023

दिनांक	आज्ञा पत्र
05.2023	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बजरंग सिंह राजपूत ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण के अनुरोध पर प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा **प्रार्थीगण** के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने एवं रहन विक्रय आदि करने पर आमादा हैं अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अन्तरिम रूप से प्रतिबंधित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 189 रकबा 0.0100 हैक्ट,खसरा नं. 190 रकबा 5.5600 हैक्ट,खसरा नं. 1970/621 रकबा 1.3200 हैक्ट,खसरा नं. 1971/621 रकबा 0.0400 हैक्ट कुल किता 04 कुल रकबा 6.9300 वाकै ग्राम सिंहासन पटवार हल्का गुंगारा तहसील व जिला सीकर में आगामी तारिख पेशी दिनांक 16.06.2023 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण किसी हिस्सा विशेष की भूमि का बेचान न करें। आगामी पेशी पर उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण में नये तथ्य आने पर न्यायालय उक्त एकपक्षीय आदेश को कभी भी वैकेट कर सकता है। प्रार्थीगण को सूचित रहे।** निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण को सामान्य व साधरण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत भी करें, अन्यथा आगामी तारीख पेशी पर एकपक्षीय अंतरिम स्थगन स्वतः ही वैकेट हो जावेगा। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें, तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियां में यह अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं करने पर उक्त अंतरिम आदेश स्वतः ही वैकेट हो जावे। पत्रावली आ.ता. पेशी 16.06.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सीकर
16/6/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील ने वाद नोट पैस में खारिज करवा लिया है। इसलिए प्रस्तुत स्थगन आवेदन विचार किये जाने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए आवेदन स्थगन खारिज किया जाता है। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सीकर